न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2022/118 (118/2022)

1. घड़सीराम पुत्र दानाराम
2. विद्यादेवी पत्नी घड़सीराम
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र घड़सीराम
4. शारदा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार

अकवाम सोनी निवासीयान वार्ड नं. 26 नई आबादी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलांट

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 13 चक 22 एसएसडबल्यू ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. निर्मला देवी पत्नी बजरंगलाल पुत्र घड़सीराम जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 18 सोनी मार्केट ईशर हलवानी के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमागनढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 04.04.2022 व संशोधित आदेश दिनांक 11.04.2022

द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 546/2019

अनवान सुखदेव सिंह बनाम निर्मला देवी आदि

श्री राजेश दीपराम अभिभाषक अपीलार्थी

श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

श्री दिनेश सिंह राव अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 27.09.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पेडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन कियाकि प्रार्थी के नाम चक 21 एचएमएस में 1.961 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु चक 21 एचएमएच बी के प. नं. 105/286 मु. नं. 21 के किला नं. 17 में उत्तरी पश्चिमी कोने पर 10 फुट लम्बा व 16 फुट चौड़ा व इसी अनुसार किला नं. 14 में किला नं. 13 के मिलते हुए 16 फुट रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अपीलण्ट सं0 4 व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ने उक्त मुकदमा में पैरवी हेतु अपना अधिवक्ता रामकुमार सहारण ने आश्वासन दे रखा था कि तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद उन्हें सूचित कर जवाब प्रस्तुत कर दिया जायेगा। लेकिन उसके अधिवक्ता ने उसे काई सूचना नहीं दी और अपीलाण्ट को कोई नोटिस दिये बिना ही दिनांक 03.03.2022 को पैरवी की हिदायत नहीं होने के कथन कर पैरवी छोड़ दी किसी अधिक्वता के द्वारा किया गया लोप पक्षकारों पर नहीं डाला जा सकता है। अपीलाण्ट संख्या 1 ता 3 को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट सं0 1 ता 3 आक्षेपित आदेश से विपरीत रूप से प्रभावित हैं। इसलिए बतौर तृतीय पक्ष यह अपील पेश की है। अपीलाट सं0 1 व रेस्पोडेण्ट सं0 2 को किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये तथा ना ही इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रश्नगत भमि अपीलाण्ट सं0 1 ता 3 का भी हक व हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है तथा उपरोक्त भूमिम राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज हो चुकी है। लेकिन उन्हें अधीनथ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया है। स्वीकृत किया गया रास्ता किसी भी स्वीकृतशुदा रास्ते से नहीं जुड़ता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट एकपक्षीय है। मौका रिपोर्ट से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपील दिनांक 16.10.2019 को पेश की गई थी एवं दिनांक 16.03.2020 अपीलाण्ट सं0 3 शारदा देवी एवं रेस्पो0 सं0 2 निर्मला देवी उपस्थित आये हैं। जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि प्रश्नगत भूमि निर्मला देवी व शारदा देवी के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज कागजात थी। ये दानों औरतें अपीलांट सं0 1 घड़सीराम पुत्र दीनाराम की पुत्र वधुएं हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीया सं0 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं। धारा 251 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया गयाथा इसके बारे में अपीलार्थीगण को पूर्व से ही जानकारी थी क्यों कि उपरोक्त अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 सं0 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपीलाण्ट ने धारा 251 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रश्गनत भूमि का खाता विभाजन करवा कर अपने नाम दर्ज करवा लिया है। इसके बावजूद इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष उपस्थित होकर पक्षकार संयेाजित होने संबंधी कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में उनका यह कहना की उनकी अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है पूर्णतया असद्भावी कथन है। रास्ता के संबंध में भूमि में साम्पतिक अधिकारों की घोषणा नहीं हेानी बल्कि रास्ते की आवश्यकता को देखा जाना है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि कृषि भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है उसका स्टेट्स आज भी सांझा है ऐसी स्थिति में मामले के गुणागवुणों पर कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। अपीलांट को बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने का आवेदन प्रस्तुत किया था जो स्वीकार किया गया है। धारा 251 आरटीएक्ट में रास्ता स्वीकृत करने के लिए रास्ते की परम आवश्यकता, निकटतम रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ते के बिन्दूओं को देखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 18.03.2021 के बिन्दू संख्या 2 में अंकित है कि प्रार्थी को खेत में आवागमन हेतु काई रास्ता उपलब्ध नहीं है।, बिन्दू संख्या 5 में यह कथन है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा बिन्दू संख्या 6 के अनुसार मौका स्थिति अनुससार उक्त रास्ता नजदीक व सुविधा जनक रहेगा। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, स्वीकृत किया गया रास्ता हीं निकटतम है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जहां तक अपीलाण्ट सं0 1 ता 3 को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है रास्ता दायरी के प्रार्थना–पत्र के समय प्रश्नगत भूमि के अपीलाण्ट सं0 4 निर्मला देवी तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 शारदा देवी खातेदार काश्तकार थी। प्रार्थना–पत्र लंबित रहने के दौरान इनके द्वारा आपसी रजामंदी से भूमि का विभाजन करवाकर उसे अपने नाम घोषित करवा लिया है। अपीलाण्ट संख्या 1 ता 4 व रेस्पोडेण्ट सं0 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपीलाण्ट सं0 4 व रेस्पोडेण्ट सं0 2 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थी। इन्होंने अधीनस्थ न्यायलाय में अपीलधीन आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं एवं पक्षकार संयोजित होने संबंधी कोई विधिक कार्यवाही नही की तथा रास्ता के संबंध में भूमि में साम्पतिक अधिकारों की घोषणा नहीं होनी बल्कि रास्ते की आवश्यकता को देखा जाना है। अब अपील में अपीलाण्ट पूर्णतया असद्भावी कथन के आधार पर प्रश्नगत रास्ते को को निरस्त करवाना चाहता है जो उचित नहीं है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खाारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2022 व संशोधित आदेश दिनांक 11.04.2022 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/9/22

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)